भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 86
उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई, 2024
सोमवार, 31 आषाढ़, 1946 (शक)

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत नियोजन

86. श्री चमाला किरण रेड्डी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत नियोजन अनुपात 20 प्रतिशत से भी कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि पीएमकेवीवाई के अंतर्गत आवंटित निधि का कम उपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विगत पांच वर्षो के दौरान प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना से बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले पुरुष और महिला आवेदकों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) 2015 से अपनी प्रमुख स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना तथा पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन एवं पुनर्कौशल प्रदान करना है।

इस स्कीम के पहले तीन संस्करणों में अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में नियोजन को ट्रैक किया गया था, जो कि वित्त-वर्ष 2015-16 से वित्त-वर्ष 2021-22 तक पीएमवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 कार्यान्वित किए गए हैं। उक्त तीन संस्करणों के अंतर्गत, 56.88 लाख उम्मीदवारों को एसटीटी के तहत प्रमाणित किया गया है और 24.38 लाख उम्मीदवारों के नियोजन की रिपोर्ट दी गई है, जो लगभग 43% है।

नियोजन को पीएमकेवीवाई 4.0 से अलग कर दिया गया है, जो कि स्कीम का वर्तमान संस्करण है और वित्त-वर्ष 2022-23 से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2015 से 13,446.59 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 11,054.33 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है। पीएमकेवीवाई 2.0 के राज्य घटक के तहत, राज्यों के खराब प्रदर्शन के कारण, वित्तीय आवंटन को 3,050 करोड़ रुपए से घटाकर 2,419.14 करोड़ रुपए (लगभग) कर दिया गया था। राज्यों के खराब प्रदर्शन के कारणों में राज्य के खजाने से एसएसडीएम को निधि जारी करने में विलंब, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अलग-अलग भुगतान प्रक्रिया, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यूसी प्रस्तुत करने में विलंब, स्मार्ट, एसडीएमएस, एईबीएएस, स्किल इंडिया पोर्टल आदि पर ऑन-बोर्डिंग के संबंध में तकनीकी/परिचालन बाधाओं का धीमा निपटान शामिल है।

(घ) पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान पीएमकेवीवाई के तहत बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले पुरुष और महिला उम्मीदवारों का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष--19-20		**वित्त वर्ष--20-21**		**वित्त वर्ष--21-22**		**वित्त वर्ष--22-23**		**वित्त वर्ष--23-24**	
पुरुष	**महिला**	**पुरुष**	**महिला**	**पुरुष**	**महिला**	**पुरुष**	**महिला**	**पुरुष**	**महिला**
87,101	58,488	113,314	117,812	18,539	19,560	11,769	9,550	133,765	136,269

*****